अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

कार्यालय आदेश - 205 दि॰ 31.8.18

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स पश्चिमी गाँधी मैदान, बैंक रोड, पटना के पत्रांक–CMO/CLASSIC/144/2018 दिनांक 12.04.2018 द्वारा पथ निर्माण विभाग को सूचित किया गया कि संवेदक श्री सुधीर कुमार, मकान सं०–109, लखीबाग, मानपुर, गया–823003 द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, गया शाखा के शाखा प्रबंधक श्री सुनील कुमार शर्मा की मिलीभगत से विभिन्न निविदाओं में जाली बैंक गारंटी प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है।

तद्आलोक में विभागीय पत्रांक–3535 (ई०) अनु० दिनांक 23.05.2018 द्वारा सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार से संवेदक श्री सुधीर कुमार द्वारा विविध निविदाओं में संलग्न बैंक गारन्टी सर्टिफिकेट की जाँच कर प्रतिवेदन की मांग की गई। जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल अरवल में पत्रांक–165 (अनु०) दिनांक 06.06.2018 एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल डेहरी–ऑन–सोन के पत्रांक–593 अनु० दिनांक 01.06.2018 द्वारा विभाग को समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि संवेदक श्री सुधीर कुमार द्वारा जमा किये गये बैंक गारण्टी (BG No-12640008218, BG की राशि 7,90,000/–एवं BG No-12640009017, BG की राशि 8,70,000/–) का सत्यापन बैंक से कराया गया एवं बैंक द्वारा बताया गया है कि उक्त BG उनके शाखा से निर्गत नहीं है।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–4455 (ई०) अनु0 दिनांक 27.06.2018 द्वारा संवेदक श्री सुधीर कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार के पत्रांक–शून्य दिनांक 08.07.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है क्योंकि संवेदक ने बैंक के साथ–साथ सरकार एवं विभाग के साथ भी धोखाधड़ी किया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका–11 क (vii) एवं कार्यालय आदेश सं०–154–सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस) दिनांक 18.06.2015 द्वारा निर्गत पत्र की कंडिका –8 (4) के प्रावधान के आलोक में ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिपूर्ति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने के कारण संवेदक श्री सुधीर कुमार, मकान सं०–109, लखीबाग मानपुर, गया–823003 (निबंधन सं०–अ०प्र०/श्रेणी–03 (तृतीय)–1253/2011 पथ) को अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह०/–
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\SUNIL\BLACKLISTING\SUDHIR KUMAR (BLACKLIST).DOCX

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध–04–129/2018– /पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपि :– श्री सुधीर कुमार, मकान सं०–109, लखीबाग मानपुर, गया–823003 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध–04–129/2018– /पटना, दिनांक................................

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध–04–129/2018 – /पटना, दिनांक...................

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध–04–129/2018– 6177 (E) /पटना, दिनांक 31.8.18

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास) 31/8/18
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

upload it
4.9.18
IT, Manager
06/09/18

1561
06.09.18

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\SUNIL\BLACKLISTING\SUDHIR KUMAR (BLACKLIST).DOCX